

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 235/2010

संस्थापित दिनांक 11/05/2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. लज्जा राम पुत्र सुखदेव जाटव उम्र 42 वर्ष  
निवासी हरगोविन्द पुरा गोहद चौराहा जिला  
भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279, 337 एवं 338 भा0द0स0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।)  
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री एम.एस.यादव ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 08/12/2016 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 10.02.10 को शाम लगभग 6 बजे राइज मिल के पास गोहद चौराहा रोड पर लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ऑटो को पलटकर उसमें बैठे आहत सरदार सिंह को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति एवं फरियादी राजू को चोट पहुंचाकर उसे अस्थिभंग कारित कर उसे गम्भीर उपहति कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 279, 337 एवं 338 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.02.10 को फरियादी राजू ग्वालियर से गोहद चौराहा आया था। गोहद चौराहा से वह ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 में बैठा था। गोहद चौराहा से ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 का चालक ऑटो को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। ऑटो में सवारियां बेठी थीं। ऑटो चालक ने ऑटो काफी तेजी व लापरवाही से चलाकर राइस मिल के सामने मेन रोड पर ऑटो को पलट दिया था जिससे उसके एवं ऑटो में बैठी सवारियों के चोटें आयी थीं। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में घटना स्थल पर ही देहाती नालसी लेखबद्ध करायी गयी थी तत्पश्चात पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र. 41/10 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया

गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.02.10 को शाम करीबन 6 बज राइस मिल के पास गोहद चौराहा रोड गोहद में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 को उपेक्षा पूर्ण तरीके से चलाकर ऑटो को पलटकर फरियादी राजू को चोट पहुंचाकर उसे गम्भीर उपहति एवं आहत सरदार सिंह को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से आहत सरदार सिंह अ.सा. 1 फरियादी राजू प्रजापति अ.सा. 2 अमर सिंह अ.सा. 3, रामशरण शर्मा अ.सा. 4, के.एस.तामर अ.सा. 5, डॉ. ओपी गुप्ता अ.सा. 6 एवं डॉ. आलोक शर्मा अ.सा. 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजू अ.सा. 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी लज्जाराम को जानता है। घटना दिनांक 10.02.10 की करीब 6 बजे की है वह ग्वालियर से गोहद चौराहा आया था गोहद चौराहा से ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 में बैठकर गोहद आ रहा था। ऑटो को आरोपी लज्जाराम चला रहा था वह ड्राइवर की बगल वाली शीट पर बैठा था आरोपी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था और गाड़ी को बहका रहा था उसे लग रहा था कि वह नशा किये हुये था मण्डी तिराहा के थोड़े आगे पहाड़िया मील के आगे ऑटो पलट दिया था जिससे उसके बांये पैर में अस्थिभंग हो गयाथा एवं बहुत सारी चोटें आयी थीं। ऑटो में और भी सवारियां बैठी थीं। उसे पहले लज्जाराम का नाम पता नहीं था बाद में पता चला था। पुलिस मौके पर आ गयी थी। देहाती नालसी प्रदर्श पी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे एक्सीडेंट के दिन ही आरोपी का नाम पता चल गया था, उसी

दिन उसने आरोपी को पहचान लिया था। रिपोर्ट में उसने आरोपी लज्जाराम का नाम लिखाया था।

9. आहत सरदार सिंह अ.सा. 1 ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पहले शाम के समय की है वह चौराहे से टेम्पू में बैठकर गोहद आ रहा था। मंडी की मोड़ के आगे जाकर टेम्पू पलट गया था, उसने टेम्पो का नम्बर नहीं देखा था वह बेहोश हो गया था, उसने नहीं देखा था कि किस-किस को चोटें आयी हैं, उसे पता नहीं है कि टेम्पो क्यों पलट गया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ऑटो का नं. एमपी 30 आर 0209 था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि ऑटो का चालक ऑटो को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिससे ऑटो पलट गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है।

10. साक्षी अमर सिंह अ.सा. 3 द्वारा यह व्यक्त किया है कि वह आरोपी लज्जाराम को जानता है उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अ ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 उसका है, जिसे लज्जाराम चलाता है एवं यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 10.02.10 को लज्जाराम ने ऑटो पलट दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रमाणीकरण में पुलिस ने क्या लिखा था उसने नहीं पढ़ा था, उसने सिर्फ हस्ताक्षर कर दिये थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि गाड़ी पर झाड़वर दो-चार दिन नौकरी करके चले जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि कब कौन सा झाड़वर गाड़ी चला रहा था।

11. रामशरण शर्मा अ.सा. 4 ने आरोपित ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 को प्रमाणित किया है। डॉ ओपी गुप्ता अ.सा. 6 ने डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 8 के ए से ए भाग पर डॉ श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। डॉ आलोक शर्मा अ.सा. 7 ने आहत राजू की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 एवं आहत सरदार सिंह की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 को प्रमाणित किया है तथा उपनिरीक्षक के.एस.तोमर अ.सा. 5 ने प्रदर्श पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं विवेचना को प्रमाणित किया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजू प्रजापित अ.सा. 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 से गोहद चौराहा से गोहद आ रहा था। उक्त ऑटो को आरोपी लज्जाराम बहुत तेजी से चला रहा था तथा लज्जाराम ने मण्डी तिराहे के आगे पहाड़िया मील के आगे ऑटो को पलट दिया था जिससे उसके पैर में फ्रक्चर हो गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे लज्जाराम का नाम बाद में पता चला था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसे एकसीडेंट के दिन ही आरोपी का नाम पता चल गया था तथा उसने रिपोर्ट में लज्जाराम का नाम लिखाया था। इस प्रकार फरियादी राजू अ.सा. 2 के कथनों से दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने

मुख्य परीक्षण में बताया है कि उसे लज्जाराम का नाम पहले पता नहीं था बाद में पता चला था, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसे लज्जाराम का नाम एकसीडेंट वाले दिन ही पता चल गया था तथा उसने रिपोर्ट में लज्जाराम का नाम लिखाया था। इसके अतिरिक्त फरियादी राजू अ.सा. 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते वक्त लज्जाराम का नाम रिपोर्ट में लिखा दिया था, परंतु प्रदर्श पी 2 की देहाती नालशी में आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित करने का उल्लेख नहीं है। उपनिरीक्षक के.एस.तोमर अ.सा. 5 जिनके द्वारा प्रदर्श पी 2 की देहाती नालशी एवं प्रदर्श पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने प्रदर्श पी 2 की देहाती नालशी लिखाते वक्त ऑटो चालक का नाम नहीं बताया था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी राजू अ.सा. 2 के कथन विवेचक के.एस.तोमर अ.सा. 5 के कथन से भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। यदि वास्तव में फरियादी राजू अ.सा. 2 ने घटना वाले दिन ही आरोपी को पहचान लिया था तो इसका उल्लेख प्रदर्श पी 2 की देहाती नालशी में अवश्य होता। उपनिरीक्षक के.एस.तोमर अ.सा. 5 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि फरियादी ने देहाती नालशी लिखाते वक्त आरोपी का नाम नहीं लिखाया था। ऐसी स्थिति में फरियादी का यह कथन कि उसने घटना वाले दिन ही आरोपी को पहचान लिया था सत्य नहीं है एवं फरियादी के कथनों से यही दर्शित होता है कि फरियादी द्वारा पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर अपने कथनों में सुधार किया गया है। अतः फरियादी राजू अ.सा. 2 के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी लज्जाराम चला रहा था।

14. आहत सरदार सिंह अ.सा. 1 ने भी अपने कथन में यह तो बताया है कि घटना वाले दिन वह टैम्पो में बैठकर गोहद चौराहा से गोहद आ रहा था। मण्डी मोड़ के आगे टैम्पो पलट गया था, जिससे वह बेहोश हो गया था, परंतु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उक्त टैम्पो का नम्बर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने पुलिस को ऑटो का नंबर बताया था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। इस प्रकार आहत सरदार सिंह अ.सा. 1 ने अपने कथन में उसका टैम्पो से एकसीडेंट होना तो बताया है, परंतु यह नहीं बताया है कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले टैम्पो का नम्बर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था। उक्त साक्षी द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायत प्राप्त नहीं होती है।

15. साक्षी अमर सिंह अ.सा. 3 जो कि आरोपित ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 का स्वामी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह आरोपी लज्जाराम को जानता है, उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी। जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है तो उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रमाणीकरण पर पुलिस ने क्या लिखा था, उसने तो सिर्फ हस्ताक्षर किये थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी पर ड्राइवर दो-चार दिन नौकरी करके चले जाते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था।

16. इस प्रकार अमर सिंह अ.सा. 3 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने



कथनों पर स्थिर नहीं रहा है। उक्त साक्षी ने अपने परीक्षण के दौरान अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी लज्जाराम ने ऑटो को पलट दिया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि आरोपित ऑटो को लज्जाराम चलाता है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी पर ड्राइवर दो-चार दिन नौकरी करके चले जाते हैं इसलिए निश्चित रूप से वह नहीं बता सकता है कि कब कौन-सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अमर सिंह अ.सा. 3 के कथनों से दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि वह निश्चित तौर पर नहीं बता सकता कि आरोपित ऑटो को कब कौन सा ड्राइवर चला रहा था। अमर सिंह अ.सा. 3 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि उसे निश्चित रूप से यह जानकारी नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को कौन चला रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथन भी विश्वास योग्य नहीं हैं एवं उक्त साक्षी के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी लज्जाराम चला रहा था।

17. विवेचक के.एस.तोमर अ.सा.5 ने अपने कथन में यह बताया है कि उसने दिनांक 18.02.10 को आरोपी लज्जाराम से आरोपित ऑटो जब्त किया था, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 10.02.10 की है एवं के.एस.तोमर अ.सा.5 ने आरोपी से दिनांक 18.02.10 को ऑटो जब्त करना बताया है। अतः उक्त आधार पर भी यह नहीं माना जा सकता कि घटना दिनांक को आरोपित ऑटो को आरोपी लज्जाराम चला रहा था एवं आरोपी लज्जाराम ने ही ऑटो को उपेक्षा पूर्ण तरीके से चलाते हुए पलट दिया था।

18. डॉ. ओपी गुप्ता अ.सा. 6 एवं डॉ. आलोक शर्मा अ.सा. 7 द्वारा फरियादी राजू एवं आहत सरदार सिंह की चिकित्सकीय रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है एवं साक्षी रामचरण शर्मा अ.सा. 4 द्वारा आरोपित वाहन की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्शनी पी 3 को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

19. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी राजू अ.सा. 2 एवं साक्षी अमर सिंह अ.सा.3 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। आहत सरदार सिंह अ.सा. 1 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। शेष साक्षीगण प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी घटना दिनांक को आरोपित ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 को चला रहा था एवं आरोपी ने उक्त ऑटो को उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाते हुए पलट दिया था जिससे फरियादी राजू को गम्भीर उपहति एवं आहत सरदार सिंह को साधारण उपहति कारित हुई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 10.02.10 को शाम लगभग 6 बजे राइस मिल के पास गोहद चौराहा रोड गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से

चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए ऑटो को पलट दिया एवं उसमें बैठे फरियादी राजू को चोट पहुंचाकर उसे गम्भीर उपहति एवं आहत सरदार सिंह को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी लज्जाराम को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 279, 338 एवं 337 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा ऑटो क्र. एमपी 30 आर 0209 पूर्व से उसके स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 08-12-2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)